दिनांक 15.11.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–2697/110/तीन/97–VI, दिनांक 10.11.2014** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

(कार्यवाही समस्त डूडा–उ0प्र0)

- परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया है कि एम0पी0आर0 जिसका प्रारूप सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर उपलब्ध है, को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येद दशा में सूडा को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही समस्त परि0अधि0/सहा0परि0अधि0, डूडा–उ0प्र0)

- **कम्पयूटर ज्ञान की समीक्षा** – जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा समय–समय पर कम्प्यूटर की जानकारी अवश्य प्राप्त करते रहें।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- बी0एस0यू0पी0/आई0एच0डी0पी0 के अंतर्गत जनपद अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चन्दौली, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीरनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं वाराणसी की कतिपय परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत राज्य द्वारा प्रस्तावित सरेण्डर स्वीकृति उपरान्त मूल्यवृद्धि की संशोधित डी0पी0आर0 अभी तक सूडा को प्राप्त नहीं हुयी है, जो अत्यन्त खेदजनक है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से संशोधित डी0पी0आर0 सूडा को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियो/अध्यक्षों को अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित करें।

लाभार्थी अंशदान

1. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी अंशदान की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न जनपदों द्वारा लाभार्थी अंशदान अभी प्राप्त नहीं किया गया है–

   जनपद–आजमगढ़, एटा, हमीरपुर, ललितपुर एवं प्रतापगढ़।

   संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में लाभार्थी अंशदान प्राप्त कर सूडा को निर्धारित प्रारूप पर सूचित किया जाय।

2. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपदों को पुनः अवगत कराया गया कि मिशन अवधि मार्च, 2015 में समाप्त हो रही है। अतः मार्च, 2015 तक सभी कार्य पूर्ण कराये जाने है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक अप्राप्त हैं, वे तत्काल उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि केन्द्र सरकार से ए0सी0ए0 की धनराशि हेतु

प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। संबंधित जनपदों को यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार में उक्त योजनान्तर्गत सी0एस0एम0सी0/सी0एस0सी0 की बैठक माह दिसम्बर, 2014 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। अतः अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र माह नवम्बर, 2014 के अंतिम सप्ताह से पूर्व केन्द्र सरकार को भेजा जाना अनिवार्य है। अतः दिनांक 20.11.2014 तक संबंधिज जनपद प्रत्येक दशा में सूडा को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया जाय।

3. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बिन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अलगे माह से प्रत्येक दशा में माह की 05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

4. जनपदों द्वारा योजनान्तर्गत अभी भी आवासों के आवंटन की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में सूडा के संबंधित पटल को पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित जनपदों को आवास आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के ~~के~~ प्रतिनिधि श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल गतिशीलता लाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

अफोर्डेबिल हाउसिंग

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि आवास विकास तथा प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित कर योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 तत्काल तैयार कराकर सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही समस्त डूडा)

आसरा योजना

- योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित् करायें। यह भी निर्देशित किया गया कि विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 के अंतर्गत इस योजना की भी शासन स्तर पर उच्च स्तीरय अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

- कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक से मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत अनारम्भ आवासों की समय–सारणी अभी तक उपलबध न कराये जाने पर खेद व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा वांछित अनारम्भ आवासों की समय–सारणी सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा अभी तक उपलब्ध नही कराये जाने कारण प्रत्येक माह की योजना की प्रगति से मुख्य सचिव महोदय को अवगत नहीं कराया जा पा रहा है जबकि अनारम्भ आवासों की समय–सारणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कार्यदायी संस्था को सूडा द्वारा कई बार निर्देशित किया जा चुका है। अतः संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को

निर्देशित किया गया कि सी0 एण्ड डी0एस0 अविलम्ब अनारम्भ आवासों की समय–सारणी उपलब्ध कराना सुनिश्चत् करें ताकि इसे शासन को प्रेषित किया जा सके।

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सी–टू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/ 2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त शासनादेश की प्रति माह सितम्बर, 2014 में ही समस्त जनपदों को उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया गया था कि निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने की दशा में जनपद इन–सीटू की परियोजना कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर सूडा को प्रेषित करें ताकि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके, किन्तु अभी तक किसी भी जनपद द्वारा इन–सीटू की परियोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी है जोकि अत्यन्त ही खेदजनक है। जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में इन–सीटू की परियोजना उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके है।

  समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निरन्तर निर्देश के बाद भी एटा, इटावा, गाजियाबाद, हापुड़, झांसी, कानपुर देहात, ललितपुर, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, एवं सीतापुर जनपदों से संशोधित कट–आफ–डेट के अनुरूप पात्र लाभार्थियों की सूची अद्यतन अप्राप्त है। निदेशक महोदय द्वारा इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की गयी साथ ही यह निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर यदि इंगित जनपदों से वांछित सूची (हार्ड एवं साफ्ट प्रति में) अभिकरण मुख्यायल को प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के प्रति कठोर प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित् कर दी जायेगी।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/अधिष्ठान सूडा)

- पूर्व वर्षों से संचालित, ''रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना'' के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। विगत मासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये सतत् निर्देश के बाद भी किसी भी जनपद से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा यह निर्देशित दिये गये कि इस संबंध में समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

(कार्यवाही–अधिष्ठान सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा

अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। इस प्रकरण पर निदेशक महोदय द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। मात्र डूडा उन्नाव, बलरामपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, लखीमपुरखीरी, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, फैजाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, लखनऊ (बी0के0टी0 को छोड़कर), कासगंज, देवरिया, कानपुर, बागपत, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ से ही सूचना प्राप्त हुयी है। शेष जनपदों को वांछित अवधि में सूचना प्रेषित न किये जाने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

(कार्यवाही–अधिष्ठान सूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या–1514/69–1–2014–39(बजट)/13, दिनांक 11.08.2014 द्वारा सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है।

जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2014 के अंतिम सप्ताह तक सूडा–उ0प्र0 को उपलब्ध करा दिया जाय। जनपदों व कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को निर्देशित किया गया है कि शहरी बेघरों के प्रस्ताव सी0एम0एम0यू0 द्वारा अग्रसारित करने से पूर्व भंलि–भॉति परीक्षण कर लिया जाये कि प्रस्ताव में गाइड–लाइन के अनुरूप सभी बिन्दुओं का समावेश कर लिया गया है। अतः समस्त चयनित जनपद व कार्यदायी संस्था नवम्बर, 2014 के अंतिम सप्ताह तक प्रत्येक दशा में प्रस्ताव (डी0पी0आर0) सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। प्रस्ताव समय से उपलब्ध न कराये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development (SM&ID)) के अंतर्गत शहरी आजिविकास केन्द्र (सी0एल0सी0) के स्थापना हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है कि सी0एल0सी0 शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराते हुये आम शहर वासियों को रोजमर्रा की जरूरतों/सेवाओं उपलब्ध कराने वाली एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसमें सी0एल0सी0 स्थापना के प्रस्ताव आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित विस्तृत व्यवहारिक बिजनेस प्लान के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है। सी0एम0एम0यू0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकांश प्रस्तावों के परीक्षण में पाया गया कि प्रस्ताव आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित व्यवहारिक बिजनेस प्लान संलग्न नहीं है। इस संबंध में संबंधित जनपदों से प्राप्त अधिकांश प्रस्तावों को व्यवहारिक बिजनेस प्लान सहित संशोधित प्रस्ताव दिनांक 30.11.2014 तक उपलब्ध कराने के निर्देश सूडा के पत्रांक–2778/241/ एनयूएलएम/तीन/2001 (एसएमआईडी), दिनांक 14.11.2014 के द्वारा दिये गये है, जिसका निर्धारित समय में संबंधित जनपदों द्वारा पालन सुनिश्चित् किया जाय।
- जिन निकायों से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुये है उन्हें भी दिनांक 30.11.2014 तक सुचारू रूप से बिजनेस प्लान आधारित प्रस्ताव गाइड–लाइन के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- जिन शहरों के सी0एल0सी0 के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत पूर्व में जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। अतः योजनान्तर्गत आवेदनों को एन0यू0एल0एम0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप जनपदीय टास्कफोर्स के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् कराते हुये स्वीकृति कराने की कार्यवाही की जाय। जनपदों की प्रगति की समीक्षा करने पर प्रगित असंतोषजनक पायी गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित् करें।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जिन्होंने कौशल रिक्तता (Skill Gap) की सूचना अभी सूडा को उपलब्ध नहीं करायी, वे तीन दिन के अन्दर सूचना सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जनपद बरेली को निर्देशित किया गया कि तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- योजना के अंतर्गत पुनः जिन जनपदों द्वारा धनराशि वसूल की जानी थी किन्तु अभी तक धनराशि वसूल नहीं की गयी है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जैसा कि जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा कि उपलब्ध धनराधि तत्काल सूडा को उपलब्ध करायें किन्तु अभी भी जिन जनपदों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये है, एसे समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश भी निर्गत किये जा चुके है। अतः निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव सूडा को प्रेषित करने से पूर्व यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित् करलें कि प्रस्ताव में कार्य का उल्लेख प्वाइंट–टू–प्वाइंट होना चाहिए।

- उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कार्य न प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूडा के संबंधित पटल द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। ऐसे जनपद जिनके प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके है और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, किन्तु कार्य किसी अन्य विभाग द्वारा करा दिया गया है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल धनराशि वापस करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपद –लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि व्यय हो चुकी है उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जायेगें। संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि द्वारा यू0सी0/धनराशि सूडा को अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है, एक सप्ताह के अन्दर निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

स्लम सर्वे तथा एस0सी0एस0पी0

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। समीक्षा में जनपद–वाराणसी तथा कुशीनगर में बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध है। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि 3 से 5 दिन के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा सूडा का लेखानुभाग कार्यवाही प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ऐसे जनपद जहां पर काफी कम धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने है, को भी निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित् करें। सूडा के लेखा पटल को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित जनपदों से धनराशि का मिलान करालें एवं कड़े पत्र भी प्रेषित करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत् किया जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।
- शासन के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी शासनादेश निर्गत किये जाय उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी एवं निकाय निदेशालय को भी अवश्यक की जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित् की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल की फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्यक लगाये तथा इसकी एलबम भी सूडा मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।
- समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को कियान्वित करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 2955/110/तीन/97 **Vol-VII** **दिनांक–** 25/11/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
8. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
9. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
12. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

24/11/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक